

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभागदेहरादून दिनांक 27 जनवरी, 2018

विषय:- चारधाम यात्रा 2017 में आने वाले तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं/पर्यटकों की आवश्यक सुविधा हेतु चारधाम यात्रा मार्ग पर सार्वजनिक शौचालयों/बायो शौचालय की साफ-सफाई/मरम्मत/रख-रखाव हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-364/2-7-27/2017, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चारधाम यात्रा मार्ग पर 176 नग अस्थाई फ्लैक्सरी शौचालय/मूत्रालय निर्माण एवं छः माह तक साफ-सफाई/रख-रखाव हेतु तथा जनपद टिहरी में 03 स्थलों शिवपुरी, कौडियाला तथा खैरासूत में 10-10 सीट के 03 मोबाईल टायलेट स्थलों पर यात्रा काल के दौरान संचालित एवं छः माह तक साफ-सफाई एवं रख-रखाव किये जाने हेतु निर्माण इकाई सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन देहरादून के उक्त कार्यों हेतु निम्न तालिका अनुसार धनराशि ₹ 19,29,750/- (₹ उन्नीस लाख उनतीस हजार सात सौ पचास मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	योजना का नाम	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत	वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि
1	चारधाम यात्रा मार्ग पर 176 नग अस्थाई फ्लैक्सरी शौचालय/मूत्रालय निर्माण एवं छः माह तक साफ-सफाई/रख-रखाव हेतु	79,41,000	18,03,750
2	जनपद टिहरी में 03 स्थलों शिवपुरी, कौडियाला तथा खैरासूत में 10-10 सीट के 03 मोबाईल टायलेट स्थलों पर यात्रा काल के दौरान संचालित एवं छः माह तक साफ-सफाई एवं रख-रखाव किये जाने हेतु	6,30,000	1,26,000
	योग :-	85,71,000	19,29,750

2- उक्त निर्माण कार्य हेतु धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-3011/VI(1)/2017-02(17)/2011, दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 के द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था, पेयजल, दवाईयों का छिड़काव हेतु आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि ₹ 1,00,41,000 के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 14,74,750 /- तथा शासनादेश संख्या-115/VI(1)/2018-02(17)/2011, दिनांक 18 जनवरी, 2018 के द्वारा ₹ 4,55,050 /- इस प्रकार कुल धनराशि ₹ 19,29,800 /- में से की जायेगी।

- धनराशि अवमुक्त से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगे।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

- (iii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।
- (iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- (v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- (vi) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (vii) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
- (viii) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 एवं समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (ix) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2018 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।
- (x) कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या :- 229 / VI(1) / 2018-03(22) / 2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
- 4- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन, देहरादून।
- 6- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा सैकली)
संयुक्त सचिव।